

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

विकास भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, भूतल नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक-0771-2960272, e-mail- dp.cg@nic.in, Website-www.dpcg.cgstate.gov.in

क्रमांक/पंचा/आरजीएसए/144/2025/774 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 21.03.2025

—: विज्ञापन :—

पंचायत संचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक/पंचा/आरजीएसए/144B/2025/762 दिनांक 13.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 15.04.2025 सायं 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल (<https://dpcg.cgstate.gov.in/>) में आमंत्रित किये जाते हैं, पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. राज्य समन्वयक (पेसा) :-

पद :- राज्य समन्वयक (PESA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र/मानव विकास/ग्रामीण विकास प्रबंधन में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 60%
2. कम से कम 05 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत समान प्रकृति में कार्य का अनुभव	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20%
	साक्षात्कार -10 अंक

● संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/- एकमुश्त प्रतिमाह।

पद :- विषय विशेषज्ञ (PESA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

2. विषय विशेषज्ञ (पेसा) :-

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र/मानव विकास/सोशल वर्क/ग्रामीण विकास प्रबंधन में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में 03 वर्ष का समान प्रकृति के कार्य का अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20%
	साक्षात्कार -10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/- एकमुश्त प्रतिमाह।

3. विषय विशेषज्ञ (Account & Audit) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (Account & Audit)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से M.Com./MBA (Finance) में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20%
	साक्षात्कार -10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/- एकमुश्त प्रतिमाह।

4. विषय विशेषज्ञ (IT&E-Gov.) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (IT&E-Gov.)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./ बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस/ आईटी) / एम.सी.ए. में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20%
	साक्षात्कार -10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/- एकमुश्त प्रतिमाह।

5. विषय विशेषज्ञ (Panchayati Raj) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (Panchayati Raj)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास प्रबंधन/राजनीतिशास्त्र/ लोकप्रशासन में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20%
	साक्षात्कार -10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/- एकमुश्त प्रतिमाह।

6. सहायक राज्य समन्वयक (RGSA) :-

पद :- सहायक राज्य समन्वयक (RGSA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री उत्तीर्ण।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 60% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
2. कम से कम 01 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20% साक्षात्कार -10 अंक

● संविदा मासिक मानदेय राशि 36,500/- एकमुश्त प्रतिमाह।

7. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर :-

पद :- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	02	0	0	0	02
2.	अनसूचित जाति	01	0	0	0	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	0	0	0	01
4.	अनुसूचित जनजाति	02	0	0	0	02
कुल योग :-		06	0	0	0	06

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 50%
2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छ.ग. शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (KEY) डिप्रेशन घंटा की गति का प्रमाण पत्र। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।	स्नातक के अंको का अधिभार-10% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 30%

● संविदा मासिक मानदेय राशि 23,350/- एकमुश्त प्रतिमाह।

8. सहायक ग्रेड-03 (पंचायत संचालनालय हेतु 02 एवं एस.आई.आर.डी. निमोरा हेतु 02):-

पद :- सहायक ग्रेड-03						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	02	0	0	0	02
2.	अनुसूचित जाति	01	0	0	0	01
3.	अनुसूचित जनजाति	01	0	0	0	01
कुल योग :-		04	0	0	0	04

● शैक्षणिक अर्हता :-

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार- 50%
2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छ.ग. शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी में 5000 की (KEY) डिप्रेशन घंटा की गति का प्रमाण पत्र। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।	स्नातक के अंको का अधिभार- 10% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 30%

● संविदा मासिक मानदेय राशि 18,000/- एकमुश्त प्रतिमाह।

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :-

- न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी।
- छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।

07. संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
08. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
09. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ की पात्रता नहीं होगी।
11. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
12. राज्य एवं जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरुद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए तथा उनमें से 01 पद के विरुद्ध 05 प्रतिभागियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तदुपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
13. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा/साक्षात्कार के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. आवेदक जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
17. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
18. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेय समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
19. नियुक्ति के संबंध में संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(प्रियंका ऋषि महोदिया)

भा.प्र.से.

संचालक

पंचायत संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़